

प्रेषक,

डॉ० पी०एस०गुंसाई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून.

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून

दिनांक

25 अगस्त, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 489/XII/10/86(10)/2005 दिनांक 13 जून, 2005 एवं शासनादेश संख्या 895/XII/10/86(10)/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 के द्वारा गठित क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत ₹ 30 लाख प्रति विकास खण्ड अर्थात् कुल ₹ 28,50,00,000-00 (₹ अठ्ठाईस करोड़ पचास लाख मात्र) की बजट व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में क्षेत्र निधि हेतु प्राविधानित ₹ 26,47,00,000.00 (₹ छब्बीस करोड़ सैतालिस लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु. 23,88,50,000.00 (₹ तेईस करोड़ अठ्ठासी लाख पचास हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अवमुक्त धनराशि का प्रत्येक तिमाही उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।
2. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाए तथा स्वीकृत धनराशि की जनपदवार फांट निर्धारित मानकों के अनुसार अपने स्तर से किया जाय।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाएगा।
5. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
6. बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
7. इस संबंध में हाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-आयोजनागत-07-00-आयोजनागत-07-विकास खंडों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि-00-42-अन्य व्यय से ₹ 17,33,00,000/- अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम --101-पंचायतीराज-आयोजनागत-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट-0201-विकास खंडों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि-00-42-अन्य व्यय से ₹ 5,41,50,000/- तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-00-796-आयोजनागत-03-विकास खंडों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि-42-अन्य व्यय से ₹ 1,14,00,000/- की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।


लोम

निदेशक

25/8/2011

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-20(p)/XXVII(i)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय



(डॉ० पी०एस०गुंसाई)
सचिव ।

संख्या /XII/10/86(10)/2005टी.सी-।। तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन ।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून ।
13. गार्ड फाईल

आज्ञा से,


(सी०एम०एस०बिष्ट)
अपर सचिव ।